कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

क्र. 165 /निगम सचिव/न.पा.नि./2018 रायगढ़, दिनांक 11/06/18

प्रति,

संयुक्त सचिव,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
नया मंत्रालय, महानदी भवन,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– नगर पालिक निगम रायगढ़ के परिषद के विशेष सम्मेलन बैठक दिनांक 26/05/2018 एवं 30/05/2018 के कार्यवाही विवरण की जानकारी के संबंध में।

———000———

उपरोक्त विषयांतर्गत नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 53 (5) अनुसार नगर पालिक निगम रायगढ़ के विशेष सम्मेलन परिषद् बैठक दिनांक 26/05/2018 एवं 30/05/2018 के प्रस्ताव एवं संकल्प की एक प्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

निगम सचिव
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्र. 165 /एम.आई.सी.सचिव/न.पा.नि./2017 रायगढ़, दिनांक 11/06/18

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
3. महापौर/सभापति/नेता प्रतिपक्ष, एवं श्री/श्रीमती/सुश्री .... पार्षद न.पा.निगम.रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
4. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
6. डाटा सेंटर प्रभारी, नगर पालिक निगम रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं नगर पालिक निगम रायगढ़ के वेबसाईट में प्रविष्टि हेतु पालनार्थ।
7. जावक लिपिक, नगर पालिक निगम रायगढ़ एक प्रति सूचनार्थ बोर्ड में चस्पा हेतु पालनार्थ।

निगम सचिव
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट

(प्रारुप क देखिये)

नगर पालिक निगम रायगढ़/परिषद् के सम्मिलन दिनांक **26.05.2018** (समय) **11:00** बजे पूर्वान्ह की स्थगित बैठक दिनांक 30.05.2018 (समय) 11:00 बजे पूर्वान्ह विचारण के लिये सम्मिलित विषयों की सूची :– आज दिनांक 30.05.2018 को परिषद की साधारण सम्मिलन की बैठक दिनांक 26.05.2018 की स्थगित बैठक 30.05.2018 को समय 11:00 बजे पुनः प्रारंभ की गई जिसमें सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि ''पार्षदों द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर के संबंध में कार्यवाही '' के स्थान पर समितियो या मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सुझाव पर चर्चा पहले की जाए तदनुसार कार्यवाही प्रारंभ की गई।

स.क्र.	विषय	
(क)	पूर्ववर्ती सम्मिलन के कार्यवृत्त की पुष्टि करना, यदि उसकी पुष्टि उस सम्मिलन में न हुई हो, – निरंक	
(ख)	पार्षदों द्वारा पुछे गये प्रश्न तथा उनके उत्तर, – कुल 23 प्रश्न प्राप्त जिसमें 18 प्रश्न ग्राह्य एवं 05 प्रश्न अग्राह्य किया गया। सभी ग्राह्य प्रश्नों का उत्तर पार्षदों को डाक के माध्यम से भेजा गया एवं 3:15 बजे से प्रश्न उत्तर प्रारंभ किया गया एवं 5:30 बजे तक लाटरी के माध्यम से 07 प्रश्नों का उत्तर दिया गया।	
(ग)	महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार के संबंध में जानकारी, – निरंक	
(घ)	कार्यसूची के शेष कामकाज जो पूर्ववर्ती सम्मिलन में संपादित न किये जा सके हों, – निरंक	
(ड.)	समितियों या मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सुझाव तथा प्रस्ताव,	
1.	परिषद् सम्मिलन दिनांक 04.01.2018 के प्रस्ताव क्र. 01 एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 20.11.2017 की स्थगित बैठक दिनांक 22.11.2017 के प्रस्ताव क्र. 14 – राज्य शहरी विकास अभिकरण छ.ग. नया रायपुर के पत्र क्र./9/सूडा/2017/4491 दिनांक 27.09.2017 में विभिन्न योजना अंतर्गत सुधार कार्यक्रम के तहत नगरीय निकायों में स्थित सम्पत्तियों के न्यूनतम 90 प्रतिशत कवरेज के साथ न्यूनतम 90 प्रतिशत राजस्व (सम्पत्तिकर, जलकर, यूजरचार्ज, समेकित कर, विज्ञापन कर इत्यादि) वसूली किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा समय–समय पर राजस्व वसूली का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। जिससे निरंतर राजस्व की हानि हो रही है। इस हेतु मेसर्स स्पैरो सॉफ्टेक प्रा.लि. को नगर निगम भिलाई, बिलासपुर एवं दुर्ग का सम्पत्तिकर, जलकर, यूजरचार्ज, समेकित कर एवं अन्य कर की वसूली का कार्य दिया गया है। जिसकी समीक्षा एवं परीक्षण में उपरोक्त तीनों निकायों की कर वसूली में संतोषजनक प्रगति होने का उल्लेख करते हुए द्वितीय चरण में नगर पालिक निगम राजनांदगांव, रायगढ़, अम्बिकापुर, चिरमिरी, बीरगांव, धमतरी, जगदलपुर एवं भिलाई चरोदा में विषयांतर्गत सम्पत्तिकर, जलकर, यूजरचार्ज, समेकित कर एवं अन्य कर इत्यादि के कवरेज में बढोत्तरी एवं न्यूनतम 90 प्रतिशत वसूली हेतु आउटसोर्स कर वसूली हेतु एजेंसी चयन किये जाने हेतु निकाय की सहमति प्राप्त करने हेतु प्राथमिकता से आवश्यक कार्यवाही की जाकर सूडा को अवगत कराने निर्देशित है। सहमति दिये जाने विचारार्थ प्रस्तुत। **में लिये गये निर्णय अनुसार – प्रकरण प्रस्तुत हुआ, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि ठेके पर दिये जाने सहमति के पूर्व सूडा (राज्य शहरी विकास अभिकरण) रायपुर से नियम एवं शर्तों की जानकारी प्राप्त कर आगामी सभा में प्रस्तुत करें।** तदनुसार प्रस्ताव विचारार्थ पुनः प्रस्तुत है।	प्रकरण का अवलोकन किया गया। चर्चा उपरान्त सर्व सम्मति से प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है।

Scanned by CamScanner

2\. **परिषद् सम्मिलन दिनांक 04.01.2018 के प्रस्ताव क्र. 03**

एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 20.11.2017 की स्थगित बैठक दिनांक 22.11.2017 के प्रस्ताव क्र. 16 – कार्यालयीन पत्र क्रमांक 913/रायगढ़ दिनांक 29.06.2017 को जेल परिसर बांयी ओर प्रथम तल स्थित 3 दुकान एवं मिनी स्टेडियम प्रथम तल स्थित 11 दुकानों का किराया हेतु ऑफर आमंत्रण सूचना आमंत्रित किया गया है, निर्धारित समयावधि में प्राप्त ऑफर दर दिनांक 18.07.2017 को खोला गया जिसमें अधिकतम ऑफरदाता की राशि स्वीकृत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	दुकान स्थल का नाम	दु. नं.	नाम पिता का नाम	पता	आरक्षित वर्ग	प्राप्त ऑफर दर
1	जेल परिसर बांयी ओर प्रथम तल	37	आशीष चौहान/आ. बी.एल. चौहान	तुर्कापारा, रायगढ़ (छ. ग.)	अ.जा.	2,71,000/–
2	मिनी स्टेडियम प्रथम तल	32	सुनीश त्रिवेदी/स्व. के. त्रिवेदी	विकास नगर कोतरा रोड रायगढ़ (छ. ग.)	सामान्य	1,73,003/–
3	मिनी स्टेडियम प्रथम तल	34	ब्रम्हानंद चौहान/स्व. अलपराम चौहान	तुर्कापारा, पैलेस रोड, रायगढ़	शि.बेरो.	2,31,500/–
4	मिनी स्टेडियम प्रथम तल	36	चन्द्रकला/ हरिश कुमार पटेल	बैकुंठपुर, रायगढ़	पिछड़ा वर्ग	1,76,004/–
5	मिनी स्टेडियम प्रथम तल	37	राजेश कुमार चौधरी/डी. पी. चौधरी	दरोगापारा, रायगढ़	सामान्य	1,55,000/–
6	मिनी स्टेडियम प्रथम तल	38	देवकी लता साहू पिता बिहारी लाल साहू	ग्राम–रेगांव, पोस्ट–डोलेसरा, जिला रायगढ़	विकलांग	1,77,200/–
7	मिनी स्टेडियम प्रथम तल	39	विजय कुमार शर्मा पिता जयंत कुमार शर्मा	केलो बिहार कालोनी, रायगढ़	सामान्य	3,74,000/–
8	मिनी स्टेडियम प्रथम तल	40	रेणु शर्मा/अजय कुमार शर्मा	केलो बिहार कालोनी, रायगढ़	महिला वर्ग	3,00,000/–
9	मिनी स्टेडियम प्रथम तल	41	युगल तिवारी/स्व. एच.एस. तिवारी	बावलीकुंआ बैकुंठपुर, रायगढ़	सामान्य	1,76,100/–
10	मिनी स्टेडियम प्रथम तल	43	पुनीराम रजक/स्व. साधुराम	दीनदयाल पुरम, रायगढ़	सामान्य	1,76,222/–
11	मिनी स्टेडियम प्रथम तल	44	अविनाश पाठक पिता श्री लाल पाठक	लोचन नगर, रायगढ़	सामान्य	1,76,151/–

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

में लिये गये निर्णय अनुसार – प्रकरण प्रस्तुत हुआ, सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि समस्त जानकारी के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

तदनुसार प्रस्ताव विचारार्थ पुनः प्रस्तुत है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया चर्चा उपरान्त सर्व सम्मति से स्वीकृत। श्री शरद सराफ पार्षद वार्ड क्र. 20 के द्वारा उक्त निर्णय पर आपत्ति दर्ज की गई।

Scanned by CamScanner

3. परिषद् सम्मिलन दिनांक 04.01.2018 के प्रस्ताव क्र. 04

एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 20.11.2017 की स्थगित बैठक दिनांक 22.11.2017 के प्रस्ताव क्र. 15 –

नगर निगम मद की दुकानों का नामांतरण सूची

क्र.	दुकान स्थल	दु. क्र.	वर्तमान आबंटिती का नाम	नामान्तरिति का नाम
1	जेल परिसर बायी ओर भूतल	20	मो. इम्तियाज आ. मो. रियाज	श्री राजकुमार गिरि आ. पूर्णचंद गिरि
2	रामलीला मैदान	08	श्री शमीम अहमद आ. स्व. मंजूर अहमद	श्रीमती सपना घोष पति प्रशांत घोष
3	रामलीला मैदान	27	श्रीमती रजनी मोटवानी पति हरिश मोटवानी	श्रीमती शकुंतला सलूजा पति नरेश कुमार सलूजा
4	संस्कृत पाठशाला	भवन कक्ष	श्री संजय रतेरिया आ. पुरुषोत्तम रतेरिया	श्री आशीष अग्रवाल आ. प्रेमरतन अग्रवाल
5	न्यू मार्केट	33	श्री कुलदीप सिंह चावला आ. जगदीश सिंह चावला	श्रीमती सतिन्दर कौर पति रणजीत सिंह
6	न्यू मार्केट	08	स्व. कैलाश अग्रवाल आ. परसराम अग्रवाल	श्री महेश कुमार केड़िया आ. गौरीशंकर केडिया
7	टाउन हाल हाता	20	श्री खीकराम जायसवाल आ. बोधराम जायसवाल	श्री किशन लाल शर्मा आ. सत्यनारायण शर्मा
8	केलो चक्रपथ	1,2,3 ,4	श्रीमती स्वाती देवी अग्रवाल पति नवल अग्रवाल	श्री ऐश अग्रवाल आ. प्रफुल्ल अग्रवाल
9	न्यू मार्केट	29	स्व. जितेंद्र कुमार अग्रवाल आ. श्रवण अग्रवाल	श्रीमती माधुरी अग्रवाल पति स्व. जितेन्द्र कुमार अग्रवाल
10	न्यू मार्केट	34	श्रीमती भगवान देवी पति स्व. नत्थुलाल अग्रवाल	श्री विमल अग्रवाल आ. स्व. नत्थुलाल अग्रवाल
11	लाल टंकी	03	श्रीमती सुनिता थवाईत पति राजेश कुमार थवाईत, गीता देवी पति शिव कुमार	श्रीमती सुनिता थवाईत पति राजेश कुमार थवाईत

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

में लिये गये निर्णय अनुसार – प्रकरण प्रस्तुत हुआ, सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण निरस्त किया जाता है। पार्टनशीप डीड के साथ और लंबित प्रकरण को शामिल करते हुए एक साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।

तदनुसार प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया चर्चा उपरान्त सरल क्र.04 संस्कृत पाठशाला भवन कक्ष का नामांतरण प्रकरण को छोडकर शेष दुकानों का क्रमशः सरल क्र.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 का नामांतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4 परिषद् सम्मिलन दिनांक 04.01.2018 के प्रस्ताव क्र. 11

कु. अमजदा बानो एवं अन्य 39 पार्षदों का संयुक्त हस्ताक्षर युक्त आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें शहरवासियों की सुविधा हेतु वार्ड नं. 10 में स्थित फौजदारपारा मेरिन ड्राईव रोड से बेलादुला नदी के उस पार में स्थित मेरिन ड्राईव रोड में जोड़े जाने के नव निर्माण रपटा पुल निर्माण हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

में लिये गये निर्णय अनुसार – प्रकरण प्रस्तुत हुआ है। प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत। आयुक्त अगली बैठक में प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तुत करें।

तदनुसार प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत है।

कार्यालयीन प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रू. 480.00 लाख का प्राक्कलन स्वीकृत राशि की मांग हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जावे।

5 एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 16.04.2018 के प्रस्ताव क्र. 11 –

वर्ष 2018–19 हेतु स्वा. विभाग में 194 प्लेसमेंट श्रमिक प्रदाय किये जाने के लिये ई–निविदा जारी किया गया, जिसमें "काल मी सर्विसेस रायपुर" का प्राप्त दर 7.21 प्रतिशत अधिक प्राप्त हुआ है जो दर न्यूनतम है जो

प्रकरण का अवलोकन किया गया चर्चा उपरान्त सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि निविदा निरस्त करते हुये काल–मी सर्विसेस

Scanned by CamScanner

	मजदुरों के पक्ष में किये जाने वाले भुगतान से कम होगा। ऐसी स्थिति में काल मी सर्विसेस रायपुर से प्राप्त दर के संबंध में रेट जस्टीफिकेशन मंगाया जाना प्रस्तावित किया गया है। जिसके परिपालन में कार्यालय का पत्र क्रमांक 870 दिनांक 28.03.2018 जारी कर दर के संबंध में जारी किया गया, जिसके पालन में काल मी सर्विसेस द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.04. 2018 द्वारा अपना पक्ष रखा गया इनके द्वारा प्राप्त जवाब में पूर्ण रुप से दर नहीं दर्शाया गया कि ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की राशि को निविदा में नहीं जोड़ा गया है बाकि शेष निविदाकारों द्वारा राशि अंकित किया गया है। इस प्रकार काल मी सर्विसेस द्वारा प्रस्तुत दर में इनका क्रम तृतीय पर है। जो अभिलेख में दर्ज है। अतः दर की तुलनात्मक सूचीनुसार श्री बर्फानी सिक्युरिटी सर्विस जबलपुर का दर कम एवं अन्य निविदाकारों से न्यूनतम दर है। विचारार्थ प्रस्तुत। **में लिये गये निर्णय अनुसार** – कार्यालयीन प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण परिषद् में रखे जाने हेतु अनुशंसा की जाती है। तदनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत है।	का अमानत राशि राजसात किया जावे। निविदा के नियम एवं शर्तो का स्पष्ट उल्लेख करते हुये 190 श्रमिकों के स्थान पर पुनः 320 सफाई श्रमिकों का निविदा जारी किया जावे। निविदा स्वीकृत किया जाना निगम हित में होगा, निगम आयुक्त द्वारा सदन में यह जानकारी दी गयी।
6	**एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 28.04.2018 के प्रस्ताव क्र. 04 –** कार्यालय नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग को छोड़कर अन्य विभाग 246 श्रमिकों का आमंत्रित निविदा का निविदा समिति की बैठक दिनांक 25.04.2018 को आहुत की गई जिसमें काल मी सिक्युरिटी सर्विसेस द्वारा प्रस्तुत दर का जस्टीफिकेशन कराये जाने हेतु कार्यालय द्वारा जारी किये गये पत्रों का जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा समिति द्वारा निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत दरों का तुलनात्मक अवलोकन पश्चात् बर्फानी सिक्युरिटी सर्विसेस, जबलपुर की दर 17.90 न्यूनतम पायी जाने पर स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। जिसकी स्वीकृति पर विचारार्थ प्रस्तुत। **में लिये गये निर्णय अनुसार** – कार्यालयीन प्रतिवेदन अनुसार बर्फानी सिक्युरिटी सर्विसेस जबलपुर का प्राप्त न्यूनतम दर 17.90 स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है। परिषद् में स्वीकृति हेतु रखा जावे। तदनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत है।	प्रकरण का अवलोकन किया गया चर्चा उपरान्त सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि निविदा निरस्त करते हुये काल–मी सर्विसेस का अमानत राशि राजसात किया जावे। निविदा के नियम एवं शर्तो का स्पष्ट उल्लेख करते हुये पुनः 246 श्रमिकों का निविदा जारी किया जावे। निविदा स्वीकृत किया जाना निगम हित में होगा, निगम आयुक्त द्वारा सदन में यह जानकारी दी गयी।
(च)	**पार्षदों द्वारा लोक महत्व के विषयों पर वक्तव्य देने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव, –**	

निगम सचिव
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

सभापति
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned by CamScanner